सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

300(द.), पुस्तकालय भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 25 अक्टूबर, 2023

विषय: मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29 सितंबर, 2023 को आयोजित 153वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 153rd Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 29 September, 2023 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 153वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीया,

25/10/2023

(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.09.2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित 153वीं बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 153वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में सभी 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंताओं को वीसी के माध्यम से जोड़ा गया।

सर्वप्रथम इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 153वीं बैठक में वीडियो सम्मेलन (वीसी) के द्वारा जुड़े सभी 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंताओं तथा मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाना निश्चित हुआ था। परंतु कुछ अपरिहार्य कारणों से वे इस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सके। इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उन्हें इस बैठक की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होने केंद्रीय जल आयोग मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय संगठनों के अधिकारियों से राजभाषा नीति व नियमों के समुचित अनुपालन करने का निदेश दिया ताकि केंद्रीय जल आयोग राजभाषा के उत्तरोत्तर सफल कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति कर सके। उन्होंने सदस्य सचिव से अनुरोध किया कि वे बैठक की शुरूआत क्षेत्रीय कार्यालयों के आंकड़ों के विश्लेषण तथा राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के साथ करें क्योंकि इस समय लगभग सभी मुख्य अभियंता वीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं और निश्चय ही हमारी चर्चा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिंदी के प्रगामी प्रयोग मे बढ़ोतरी करने के लिए अपना-अपना योगदान दें जिससे कि आयोग में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

तत्पश्चात्, सदस्य सचिव, उप निदेशक (रा.भा.) महोदया ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंता महोदय और सभी उच्चाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया कि पिछली बैठक 30 जून, 2023 को हुई थी और उसके कार्यवृत्त 17 जुलाई, 2023 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित कर दिए थे। इस संबंध में कहीं से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अत: इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। तत्पश्चात, समिति के सदस्यों की सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

समिति के केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध 'क' तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से वीसी के माध्यम से जुड़े मुख्य अभियंताओं/प्रतिनिधि अधिकारियों की सूची अनुबंध 'ख' पर संलग्न है।

सदस्य सचिव महोदया ने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन पर चर्चा करते समय बताया कि अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय के निदेशानुसार इस बार 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में स्थित मुख्य अभियंता कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट का विस्तृत आंकड़ों सहित विवरण अलग-अलग शीट में तैयार किया गया है ताकि उनके द्वारा राजभाषा नीति एवं नियमों के अनुपालन संबंधी स्थिति का सटीक विश्लेषण प्राप्त हो सके और तत्काल संबंधित मुख्य अभियंता से इस संबंध में चर्चा की जा सके। अध्यक्ष महोदय ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के आंकड़ों का विश्लेषण तथा राजभाषा नीति एवं नियम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के समुचित अनुपालन की स्थिति की गहनता से समीक्षा की तथा तदनुसार, कार्यालयों को आवश्यक सुझाव तथा दिशा-निर्देश दिए।

1. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है! तथापि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की बैठक एवं हिंदी कार्यशाला के

आयोजन न किए जाने के संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से निदेश दिया कि इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गंभीर प्रयास किए जाएं। उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं से अनुरोध किया कि प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं हिंदी कार्यशालाओं के नियमानुसार आयोजन को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने सभी कार्यालयों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया।

(कार्रवाईः सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

2. क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निरीक्षण के संबंध में चर्चा के दौरान सदस्य सचिव महोदया ने बताया कि इस तिमाही के दौरान 05 क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया तथा मुख्यालय में अभिकल्प एवं अनुसंधान के 05 निदेशालयों का निरीक्षण किया गया। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कार्य किया जाए तथा मुख्यालय के अनुभागों/निदेशालयों का भी समय-समय पर निरीक्षण किया जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

3. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों पर चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि आगामी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों मे क्षेत्रीय कार्यालयों की वर्तमान तिमाही के आकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा, पिछली तिमाही से न करके, पिछले वित्तीय वर्ष की तिमाही रिपोर्ट के समग्र औसत आंकड़ों से की जाए तथा तदनुसार, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के आंकड़ों को इसी प्रकार अलग-अलग पृष्ठों पर ही तैयार किया जाए ताकि कार्यालयों की राजभाषा प्रगति की समुचित व सटीक समीक्षा की जा सके।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

4. क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के पदों की स्थिति के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में निदेशक (स्था.3) महोदय ने बताया कि यह फाइल अभी वित्त मंत्रालय में लंबित है। इस बीच में हिंदी अनुवादकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक कंसल्टेंटों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया चल रही है जो अभी मंत्रालय में है। अध्यक्ष महोदय ने स्थापना-7 को निदेश दिया कि क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन/रिवाइवल के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कंसल्टेंटों की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।

(कार्रवाईः स्थापना-7 एवं हिंदी अनुभाग)

5. केंद्रीय जल आयोग में तकनीकी शब्दावली के निर्माण के संबंध में चर्चा के दौरान, अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी, शब्दावली के नवीन संकलन हेतु किसी भी अधिकारी द्वारा शब्द नहीं भेजे गए हैं इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया जाए जिसमें केंद्रीय जल आयोग के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से आयोग के कार्यक्षेत्र से संबंधित शब्द (जो शब्द पुरानी शब्दावली में नहीं हो) एवं उसके हिंदी और अंग्रेजी पर्यायों की सूची हिंदी अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को प्रेषित करने का अनुरोध किया जाए तथा साथ ही भेजे गए शब्दों की संख्या के अनुसार, उन्हें मानदेय दिए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

अध्यक्ष महोदय ने केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा हिंदी के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए निदेश देते हुए स्पष्ट किया कि हमें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करना है। इसके लिए आवश्यक है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और हम सब मिलकर सही दिशा में प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित 153वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	बी.आर.के.पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), के.ज.आ.	अध्यक्ष
2.	प्रवीण कुमार, सचिव, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	भूपिन्द्र सिंह, निदेशक, तकनीकी समन्वय, के.ज.आ.	सदस्य
4.	अभय कुमार, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
5.	अनंत गुप्ता, निदेशक, पीसीपी/प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
6.	सुनील कुमार, निदेशक, जल आयोजन एवं परियोजना सम.निदे., के.ज.आ.	सदस्य
7.	फहीम हैदर, निदेशक, एसएमडी निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
8.	निरंजन बर, निदेशक, अभि. एवं अनुसंधान सम.निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
9.	धर्मेन्द्र कुमार, लेखा अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
10.	वि.कुमारी, उप निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
11.	राजीव कुमार शर्मा, उप निदेशक, अभि. एवं अनुसंधान सम.निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
12.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
3.	इंद्रा एस., वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
4.	पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिंदी अनुभाग
5.	रोली श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिंदी अनुभाग

<u>अनुबंध - 'ख'</u>

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित 153वीं बैठक में ऑन-लाइन भाग लेने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंता/प्रतिनिधि अधिकारियों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
	'क' क्षेत्र	
1.	अम्बरीश नायक, मुख्य अभियंता, निचली गंगा बेसिन संगठन, पटना	
2.	महेश गुप्ता, अधिशासी अभियंता, नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल	
3.	अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, लखनऊ	
4.	गिरीश कुमार अग्रवाल, मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली	
	'ख' क्षेत्र	
5.	दत्तकुमार सोपान चासकर, मुख्य अभियंता, माही तापी बेसिन संगठन, गांधीनगर	
6.	एम.एस. सहारे, अधीक्षण अभियंता, प्रबोधन (मध्य), नागपुर	
7.	दत्तकुमार सोपान चास्कर, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे	
8.	राकेश कश्यप, मुख्य अभियंता, सिंधु बेसिन संगठन, चंडीगढ़	
	'ग' क्षेत्र	
9.	एम.डब्ल्यू.पाणिकर, अधिशासी अभियंता (समन्वय), बराक एवं अन्य बेसिन संगठन, शिलांग	
10.	जी.एल.बंसल, मुख्य अभियंता, ब्रह्मपुत्र बेसिन संगठन, गुवाहाटी	
11.	टी.के.शिवराजन, मुख्य अभियंता, कावेरी एवं दक्षिणी नदियां संगठन, कोयंबटूर	
12.	डी.रंगारेड्डी, मुख्य अभियंता, कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन संगठन, हैदराबाद	
13.	अजय कुमार प्रधान, मुख्य अभियंता, महानदी एवं पूर्व नदियां संगठन, भुवनेश्वर	
14.	गुरू प्रसाद जे., अधीक्षण अभियंता (एचओ एंड सीसी), प्रबोधन (दक्षिण), बंगलुरू	
15.	एस.बिस्वास, मुख्य अभियंता, तीस्ता बेसिन संगठन, कोलकाता	